न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/438/2005/जयपुर

1– जगन्नाथ पुत्र स्व0 श्री हीरालाल – मृतक
1/1– गोविन्द पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ,
1/2– मंगल पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ,
1/3– गणपत पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ,
1/4– सियाराम पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ,
1/5– मुकेश पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ,
1/6– मु0 सुन्दरी देवी बेवा स्व0 श्री जगन्नाथ,
1/7– श्रीमती अनिता पुत्री स्व0 जगन्नाथ धर्मपत्नि श्री मनीष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कुथाड़ा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
1/8– श्रीमती मीरा पुत्री स्व0 जगन्नाथ धर्मपत्नि श्री सियाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कुथाड़ा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
1/9– श्रीमती भौंरी देवी पुत्री स्व0 जगन्नाथ धर्मपत्नि श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गुढ़ा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1– भैरू पुत्र स्व0 श्री गोपी– मृतक
1/1. मु0 सोनी बेवा श्री भैंरू,
1/2. कालू पुत्र स्व0 श्री भैंरू,
1/3. प्रभू पुत्र स्व0 श्री भैंरू,
1/4. श्रीमती तुलसा पुत्री स्व0 श्री भैरू, धर्मपत्नि श्री मदन जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम घोडेट, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2– मिट्ठूलाल पुत्र स्व0 श्री गोपी,
3– सूजीलाल पुत्र स्व0 श्री बालू – मृतक
3/1. मु0 मनभरी बेवा श्री सूजीलाल,
3/2. कैलाश पुत्र स्व0 श्री सूजीलाल,
3/3. मदन पुत्र स्व0 श्री सूजीलाल,
3/4. पप्पू पुत्र स्व0 श्री सूजीलाल,
3/5. सुरेश पुत्र स्व0 श्री सूजीलाल,
3/6. श्रीमती इन्दिरा पुत्री स्व0 श्री सूजीलाल धर्मपत्नि श्री बृजमोहन जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी सोदावतों की ढाणी, रेलवे फाटक के पास, ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3/7. श्रीमती छोटी पुत्री स्व0 श्री सूजीलाल धर्मपत्नि श्री चन्द्रमोहन जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी सोदावतों की ढाणी, रेलवे फाटक के पास, ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3/8. श्रीमती ममता पुत्री स्व0 श्री सूजीलाल धर्मपत्नि श्री बाबूलाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ढाणी कुलचानिया, ग्राम लाली, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
4– प्रताप पुत्र स्व0 श्री बालू,
5– रामजीलाल पुत्र स्व0 श्री बालू,
6– श्रीमती पूजा बेवा स्व0 गोपाल,
7– श्रीमती गंगा बेवा स्व0 श्री बालू,
8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ तहसील जमवारागढ़ जिला दौसा।

खण्ड पीठ
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री जी0 बाढ़दार/श्री श्याम बाबू पारिक, अभिभाषक रेस्पो0।

निर्णय **दिनांक :– 4.3.2020**

यह निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 15–12–2004 अपील सं0 34/2000 बउनवानी जगन्नाथ बनाम भैंरू के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा नं0 475, 476, 480, 506, 507, 513, 809, 986 तथा 1067 कुल किता 8 रकबा 87 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर बाबत् अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिवक्तागण की बहस सुनते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–1999 को वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया जिस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी जगन्नाथ ने विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15–12–2004 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार करते हुए अपील मियाद बाहर शुमार कर खारिज कर दी गई जिस निर्णय दिनांक 15–12–2004 से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–12–2004 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। बहस में आगे कहा कि प्रार्थी 70 वर्ष की आयु का पुराने दमा रोग का मरीज है और प्रार्थी अपनी अस्वस्थता की वजह से ही निर्धारित समयावधि में अपीलीय न्यायालय

के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। प्रार्थी ने अपील प्रस्तुत करते हुए विलम्ब के समुचित कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट प्रावधित किया है कि चिकित्सीय प्रमाण पत्रों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं होता और उन पर विश्वास करते हुए देरी को माफ किया जाना न्याय के हित में आवश्यक होता हे। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में कोई असाधारण विलम्ब नहीं किया और जो विलम्ब हुआ है, वह मजबूरन हुआ था जिसमें किसी प्रकार की कोई गम्भीर असावधानी अथवा बुरी भावना नहीं थी। विद्वान विचारण न्यायालय को स्पष्ट निर्णय पारित करना आवश्यक होने के बावजूद भी उन्होंने मात्र यह निर्णय पारित किया कि राजस्व भू–अभिलेखों के अनुसार तकासमा किया जावें और उसका अर्थ स्पष्ट किये बिना तहसीलदार द्वारा 1/3–1/3 हिस्से अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना अवैद्य एवं अनियमित था परन्तु यदि अपीलार्थी की अपील तकनीकी आधार पर निरस्त कर दी गयी तो विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवैद्य रूप से पारित निर्णय बहाल रह जावेगा जिससे अपीलाथी के अधिकार गम्भीर रूप से विपरीत प्रभावित हो जावेगें। अतः निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर दिनांक 15–12–2004 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें और अधीनस्थ न्यायालय गुणावगुण पर अपील में अंतिम निर्णय पारित करें।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कहां कि राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत आराजी 1/3–1/3–1/3 दर्ज है। वादी/प्रार्थी द्वारा दावा 1/2–1/2 भाग का किया गया था। वादी/प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दावा केवल विभाजन का डिक्री किया गया है। प्रार्थी ने अपील 5 माह बाद मियाद बाहर पेश की है जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय ने सही तौर पर खारिज की है। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय सही एवं कानूनी है जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावें। उन्होंने अपने समर्थन में 1993 आर0आर0डी0 पेज 440 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

7– विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–1999 में अंकित किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2022 में आराजी खसरा नं0 475, 476, 480, 506, 507, 513, 809, 986 तथा 1067 कुल किता 8 रकबा 87 बीघा 6 बिस्वा गोपी पुत्र बिरदा बालु पुत्र घासी हरि पुत्र काना जाति ब्राह0हरि0 सा0देह दर्ज है व राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित भूमि में इन सभी का 1/3–1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2047 से 2050 के अनुसार भी स्व0 गोपी, बालू व हीरा के वारिसों का 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज है। वादी ने अपने वाद के पैरा नं0 4 में जो कथन किया उसका कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इसी प्रकार खसरा नं0 512 में भी रेकार्ड में पक्षकारान का 1/4 हिस्सा है जबकि इस जमाबन्दी में दर्ज धन्ना पुत्र छोटू हिस्सा 1/4 को पक्षकार ही नहीं बनाया है। अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 15–12–2004 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार करते हुए अपील मियाद बाहर शुमार कर इसी स्तर पर खारिज की गई है।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2022 में प्रश्नगत आराजी गोपी पुत्र बिरदा, बालू पुत्र घासी, हीरा पुत्र काना हिस्सा के नाम से खातेदारी में दर्ज अभिलेखित है। प्रकरण में सुस्पष्ट है कि वादी जगन्नाथ पुत्र हीरा का प्रश्नगत आराजी में 1/3 हिस्सा ही बनता है और इसी परिप्रेक्ष्य में विद्वान विचारण न्यायालय ने जो दावा बाई मीट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने का डिक्री किया था, वह सही डिक्री किया गया है।

9– पत्रावली व अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–11–1999 की जानकारी अपीलार्थी/वादी को प्रारम्भ से ही थी। न्यायिक दृष्टान्त 1993 आर0आर0डी0 पेज 440 में स्पष्ट प्रावधित किया गया है कि रोग चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर देरी माफ करने का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसलिए हमारी विनम्र राय में विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए अपील अपीलांट काबिज खारिज योग्य है।

10- फलतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-12-2004 एवं विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-11-1999 यथावत रखें जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष